



2026:AHC:175317

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 6553 वर्ष 2026

रॉकी मलिक

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रोहित कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया है।

आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने गए और अभिलेख देखा गया।

यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 128/2025 (बीएनएस, 2023 की धारा 61(2), 317(2), 316(5) के तहत, थाना बड़ौत, ज़िला बागपत) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दाखिल की गई है।

आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपी एक ऐसी कंपनी के कर्मचारी थे जिसे एटीएम में नकद जमा करने का अधिकार था; हालाँकि, एटीएम में नकद जमा करने के बजाय, वे कथित तौर पर बैंक के लगभग 5.26 करोड़ रुपये लेकर भाग गए। अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक और सह-आरोपी गौरव तोमर, सीएमएस कंपनी की ओर से नकद के अभिरक्षक थे। आगे यह भी कहा गया कि न्यायालय का ध्यान अनुलग्नक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या एस.ए.-1 और एस.ए.-2, और खास तौर पर अनुपूरक शपथपत्र के प्रस्तर 5 और 6 की ओर दिलाया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि आवेदक, गौरव तोमर और अन्य सह-आरोपियों से लगभग 5 करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। आगे यह भी बताया गया कि सीएमएस कंपनी के सूचक/प्रबंधक ने बरामद रकम को वापस पाने के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने प्रार्थना-पत्र दिया था, और उसके बाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सूचक के पक्ष में उक्त रकम को जारी करने का आदेश दिया। इस प्रकार, बरामद रकम पहले ही सूचक/कंपनी को सौंपी जा चुकी है और आवेदक से अब और कोई बरामदगी नहीं होनी है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि सह-आरोपियों- राजीव चौधरी, मनीष, राजपाल उर्फ बॉबी मलिक, समुद्र और गौरव बाल्मीकि- को इस न्यायालय की संबंधित पीठों ने पहले ही ज़मानत दे दी है। ये आदेश क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 29375/2025, 32085/2025, 34782/2025, 21634/2025 और 29596/2025 में 22.09.2025, 18.09.2025, 09.10.2025, 01.07.2025 और 27.08.2025 को दिए गए थे। यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई पुराना आपराधिक अभिलेख नहीं है और वह 24.03.2025 से न्यायिक हिरासत में है। यह बताया गया कि अब तक कोई आरोप तय नहीं किया गया है। आवेदक से आगे किसी बरामदगी या हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरामद रकम पहले ही शिकायतकर्ता/कंपनी को सौंप दी गई है। आखिर में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि अगर आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

राज्य की ओर से पेश एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि ज़मानत खारिज करने के आदेश में कोई गैर-विधिक बात नहीं है। उन्होंने प्रार्थना-पत्र खारिज करने की मांग की।

आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के एजीए के तर्कों पर विचार करते हुए और अभिलेख पर मौजूद सामग्री, आरोपों की प्रकृति, इस तथ्य कि कथित रकम का एक बड़ा हिस्सा पहले ही वसूल किया जा चुका है और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के बाद वसूली गई रकम शिकायतकर्ता/कंपनी को जारी कर दी गई है, साथ ही इस तथ्य कि आवेदक से अब और कोई वसूली नहीं की जानी है, इन सभी बातों पर विचार करने के बाद यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदक ज़मानत का हकदार है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक अभिलेख नहीं है, वह 24.03.2025 से न्यायिक हिरासत में है, और इसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तरह के मामलों में शामिल अन्य सह-आरोपियों को इस न्यायालय की अन्य पीठों ने पहले ही ज़मानत दे दी है।

इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

उक्त मामले में शामिल **आवेदक-रॉकी मलिक** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा तय तारीख पर पेश हो;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न करे;
- (iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव न डाले।

ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत निरस्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अगस्त 19, 2026

बृजेश